न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

III/निगरानी/दमोह/भू.रा/2017/3665

नंदकिशोर तनय बनमाली कुर्मी

निबासी– ग्राम महंदपुर, तह0 पथरिया, जिला दमोह म0प्र0

.................आवेदक

वनाम

हरिदास तनय बनमाली कुर्मी,

निबासी– ग्राम महंदपुर, तह0 पथरिया, जिला दमोह म0प्र0

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी तहसीलदार पथरिया, जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 17 अ/70/2015–16 हरिराम बनाम नंदकिशोर में पारित आदेश दिनांक 18/09/17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहा हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक द्वारा अधिनस्थ बिचारण न्यायालय में एक आवेदनपत्र मौजा महंदपुर, पटवारी हल्का नंबर 122/62, स्थित भूमि खसरा नंबर 110/3 रकवा 1.70 हैक्टेयर पर सीमांकन दिनांक 28/12/15 के आधार पर आवेदकगण को बेकब्जा करने बावद प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा उपरोक्त प्रकरण कमांक दर्ज करके आवेदक को नोटिस जारी किया गया। आवेदक द्वारा अपना जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि– तहसीलदार पथरिया के सीमांकन दिनांक 28/12/2015 के विरूद्ध एक निगरानी कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त निगरानी उनके द्वारा निरस्त कर देने पर माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जिसका प्रकरण कमांक 2910/1/2016 है जिसमें माननीय राजस्व मंडल द्वारा सीमांकन पर स्थगन जारी किया है। ऐसी स्थिति में जिस सीमांकन के आधार पर यह कार्यवाही प्रचलित है, उपरोक्त सीमांकन आदेश ही वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3665 नंदकिशोर विरूद्ध हरिदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक के प्रकरण क्रमांक 17/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-10-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

3

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन) 31-01-19
सदस्य